>

Title : Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution of India.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों से की जा रही है। राजस्थान विधान सभा द्वारा भी राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 28.08.2003 को एक संकल्प पारित किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा भी कई बार राजस्थानी भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था। तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने भी इस संबंध में लोक सभा में आश्वासन दिया था। राइट टू एज्यूकेशन में भी प्राईमरी शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान है। मेरे प्रदेश की मातृभाषा राजस्थानी है, बार-बार मांग करने के पश्चात भी इस भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में राइट टू एज्यूकेशन की पालना कैसे होगी। संविधान की आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने हेतु श्री सीताकांत मोहापात्र की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक समिति का गठन किया गया था, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2004 में प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ भोजपुरी और राजस्थानी ही मान्यता पाने का हक रखती है। समिति की रिपोर्ट केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों के पास विचाराधीन है। इसके बावजूद भी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी जा रही है। राजस्थान के करोड़ों लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं, देश-विदेश में कई विश्वविद्यालयों में राजस्थानी पढ़ाई जाती है, राजस्थानी एक समृद्ध एवं लगभग 2500 वर्ष पुरानी भाषा है। यह राजस्थान की रियासतों के कामकाज की भी भाषा थी।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि करोड़ों राजस्थानियों की काफी समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए संसद में आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाकर राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये।